रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 412] नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 2, 2018/कार्तिक 11, 1940
No. 412] NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 02, 2018/KARTIKA, 1940

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली 31 अक्तूबर, 2018

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण

(कर्मचारी सेवा) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2018

सं.पीएफआरडीए/12/आरजीएल/139/11-पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण, पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 (2013 का 23) की धारा 52 की उपधारा (2) के खंड (ख) के साथ पठित उसकी उपधारा 11 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पेंशन निधि विनियामक तथा विकास प्राधिकरण एतद् द्वारा पेंशन निधि विनियामक तथा विकास प्राधिकरण (कर्मचारी सेवा) विनियम, 2015 में संशोधन करते हुए निम्न विनियम बनाता है ; नामतः -

1. इन विनियमों का नाम पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (कर्मचारी सेवा) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2018 है।

2. यह विनियम शासकीय राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।

3. पेंशन निधि विनियामक तथा विकास प्राधिकरण (कर्मचारी सेवा) विनियम, 2015 में:-

क. विनियम 1 में, अंग्रेजी संस्करण के उप-विनियम (1) में वर्ष "2014" को वर्ष 2015 से प्रतिस्थापित किया जाएगा और इस प्रकार पढ़ा जाएगा:

"इन विनियमों को पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (कर्मचारी सेवा) विनियम, 2015 कहा जा सकेगा।"

ख. विनियम 6 में, उप-विनियम (1) के खंड (ख) में - शब्द "साधारण" को "कनिष्ठ" शब्द के साथ प्रतिस्थापित किया जाएगा।

ग. विनियम 6 में, उप-विनियम (4) के उप-खंड (ख) की अनुसूची में, 5 और 6 पंक्तियों में, उसकी शर्तों में, शब्दों को सम्मिलित किया जाएगा, नामतः

(i). शब्द "सीधी भर्ती" को "सीधी भर्ती केवल लिखित परीक्षा के माध्यम से" के साथ प्रतिस्थापित किया जाएगा ।

(ii). शब्दों और प्रतीकों "न्यूनतम तीन सदस्य - दो आंतरिक और एक ब्राह्य ।" को निरस्त माना जाएगा।

(iii). शब्द "साधारण" को "कनिष्ठ" शब्द के साथ प्रतिस्थापित किया जाएगा।

घ . विनियम 6 में, उप- विनियम (4) के उप खंड (ग) को निम्नलिखित रूप से प्रतिस्थापित किया जाएगा:-

(ग) प्रतियोगिता परीक्षा, जिसके अंतर्गत लिखित परीक्षा और/या सामूहिक चर्चा तथा साक्षात्कार है,

सक्षम प्राधिकारी द्वारा या भर्ती के प्रयोजन के लिए नियक्त किसी बाहरी एजेंसी द्वारा संचालित की जाएगी:

परन्तु यह कि सक्षम प्राधिकारी इन अपेक्षाओं में से किसी या सभी को शिथिल कर सकेगा, ऐसे कारणों से जो लिखित रूप से अभिलिखित किये जायेंगे ।

परन्तु इसके अतिरिक्त, पूर्णकालिक कर्मचारियों की नियुक्ति, अधिकारियों के अतिरिक्त, के प्रयोजन के लिए, साक्षत्कार और/या सामूहिक चर्चा, नहीं होगी ।

ङ. विनियम 16 में, उप-विनियम (2) के खंड (ख) में- शब्द "साधारण" को "कनिष्ठ" शब्द के साथ प्रतिस्थापित किया जाएगा।

च. विनियम 25 के बाद, नए विनियम को निम्नानुसार सम्मिलित किया जाएगा :–

"25 क. पदोन्नति श्रेणी में वेतन वृद्धि प्रदान करना

(1) विनियम 24 में निहित किसी भी तथ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जहां एक कर्मचारी को 1 नवंबर, 2016 को या उसके बाद उच्च श्रेणी में पदोन्नत किया जाता है -

(क) पूर्व- पदोन्नत श्रेणी में अधिकतम वेतन वृद्धि मान तक पहुंचने से पहले, पदोन्नत श्रेणी में अगली वैतनिक वृद्धि की तिथि पूर्व- पदोन्नत श्रेणी में मौजूदा वैतनिक वृद्धि की तिथि ही होगी।

(ख) पूर्व- पदोन्नत श्रेणी में अधिकतम वेतन वृद्धि मान तक पहुंचने के बाद, पदोन्नत श्रेणी में अगली वैतनिक वृद्धि की तिथि, पदोन्नति की तारीख के एक वर्ष से होगी:

"परन्तु पूर्व- पदोन्नत श्रेणी में अधिकतम वेतन वृद्धि मान तक पहुंचने के बाद, उन मामलों में जहाँ पदोन्नत अधिकारी को वास्तविक पदोन्नति की तारीख से एक वर्ष के भीतर पूर्व पदोन्नत श्रेणी में व्यक्तिगत भत्ता और स्थिरता वृद्धि पदमान लाभ मिलता था, पदोन्नति श्रेणी में वेतन वृद्धि की तारीख इस तरह के पद मान लाभ के संग्रहण की तारीख होगी। "

छ. विनियम 82, के उप-विनियम (3) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा :-

(क) जहाँ जांच करना प्रस्तावित है, सक्षम प्राधिकारी, कर्मचारी के विरुद्ध अभ्यारोपण के आधार पर निश्चित और सुस्पष्ट आरोपों की विरचना करेगा । प्राधिकृत अधिकारी कर्मचारी को आरोप के मदों की प्रतिलिपि, अवचार या कदाचार के आरोपण का विवरण और दस्तावेजों एवं गवाहों की एक सूची जिनके द्वारा प्रत्येक आरोप के मद को सिद्ध किया जाना प्रस्तावित है, को देगा या कारणों को बताएगा ।

(ख) आरोप के मदों की प्राप्ति पर, कर्मचारी को प्रतिरक्षा के लिए अपने लिखित बयान को जमा करना होगा, यदि वह ऐसी वांछा करता है, और साथ ही उसे यह भी बताना होगा कि उसको व्यक्तिगत रूप से सुना जाए, पंद्रह दिनों की अवधि के भीतर, जिसे प्राधिकृत अधिकारी या प्राधिकृत अधिकारी द्वारा उसकी ओर से अधिकृत किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा लिखित में कारणों को दर्ज करके समय को एक बार में अधिकतम 15 दिनों के लिए बढाया जा सकता है ।

किन्तु किसी भी परिस्थिति में, प्रतिरक्षा के लिखित बयान को दर्ज करने के लिए विस्तृत समय, आरोप के मदों की प्राप्ति की तारीख से पैंतालिस दिन से अधिक नहीं होगा ।"

ज. विनियम 82 के, उप-विनियम (12) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा:-

उप विनियम (11) के अधीन अध्यपेक्षा की प्राप्ति पर, अध्यपेक्षित दस्तावेजों की अभिरक्षा या कब्ज़ा रखने वाला अधिकारी, ऐसी अध्यपेक्षा की प्राप्ति के एक माह के भीतर, अध्यपेक्षा में विनिर्दिष्ट तारीख, स्थान तथा समय बताते हुए, उसे जांच अधिकारी के समक्ष पेश करने का प्रबंध करेगा या गैर-उपलब्धता प्रमाणपत्र ज़ारी करेगा:

परन्तु यह कि यदि ऐसे दस्तावेजों का पेश किया जाना लोक हित या प्राधिकरण के हित के विरुद्ध होगा । अध्यपेक्षित दस्तावेजों की अभिरक्षा या कब्ज़ा रखने वाला प्राधिकारी विशेषाधिकार का दावा कर सकेगा तो उस दशा में, यह तदनुसार जांच अधिकारी को सूचित करेगा और जांच अधिकारी, सूचित किए जाने पर, कर्मचारी को इसकी सूचना संप्रेषित करेगा और ऐसे दस्तावेजों के प्रकटीकरण या पेश किये जाने के लिए उसके द्वारा की गई अध्यपेक्षा को वापस लेगा। "

झ. विनियम 82 के, उप-विनियम (21) के बाद निम्नलिखित नया उप विनियम (22) जोड़ा जाएगा:-

(22) (क) जांच अधिकारी को जांच अधिकारी के रूप में उसकी नियुक्ति के आदेश की प्राप्ति की तारीख से छह महीने की अवधि के भीतर जांच समाप्त करनी होगी और अपनी रिपोर्ट जमा करनी होगी;

(ख) जहां खंड (क) में निर्दिष्ट समय सीमा का पालन करना संभव नहीं है, जांच अधिकारी कारणों को लिखित में रिकॉर्ड कर प्राधिकृत अधिकारी से समय के विस्तार की मांग कर सकता है, जो जांच को पूरा करने के लिए एक बार में अधिकतम छह महीने की अनुमति दे सकता ।

(ग) किसी भी अच्छे और पर्याप्त कारणों को लिखित में दर्ज करते हुए, एक समय में, अधिकतम छह महीने की अवधि के विस्तार की अनुमति प्राधिकृत अधिकारी या प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अधिकृत किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा दी जा सकती है।"

हेमंत जी.कांट्रेक्टर, अध्यक्ष

[विज्ञापन।II/4/असा./333/18]

पादलेख:

1. मूल विनियम, पेंशन निधि विनियामक तथा विकास प्राधिकरण (कर्मचारी सेवा) विनियम, 2015, भारत के राजपत्र में 14 मई 2015 को, सं.पीएफआरडीए/12/आरजीएल/139/11 के माध्यम से प्रकाशित किये गए थे ।

PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY

NOTIFICATION

New Delhi, the 31 October, 2018

PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY

(EMPLOYEES' SERVICE) (FIRST AMENDMENT) REGULATIONS, 2018

No. PFRDA/12/RGL/139/11- In exercise of the powers conferred by sub - section (2) of section 11 read with sub - clause (b) of sub - section (2) of section 52 of the Pension Fund Regulatory and Development Authority Act, 2013 (Act no. 23 of 2013), the Pension Fund Regulatory and Development Authority hereby makes the following regulations to amend the Pension Fund Regulatory and Development Authority (Employees' Service) Regulations, 2015, namely,: -

1. These regulations may be called the Pension Fund Regulatory and Development Authority (Employees' Service) (First Amendment) Regulations, 2018.
2. These shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

3. In the Pension Fund Regulatory and Development Authority (Employees' Service) Regulations, 2015:-

A. In the existing regulation 1, sub-regulation (1) in the English version, the year "2014" shall be substituted by the year "2015" and shall read as:

"These regulations may be called the Pension Fund Regulatory and Development Authority (Employees' Service) Regulations, 2015."

B. In the regulation 6, in clause (b) of sub-regulation (1), the word "General" shall be substituted with "Junior".

C. In the regulation 6, in the schedule of clause (b) of sub-regulation (4) , in the rows 5 & 6, in the proviso thereto, the words shall be inserted, namely:-

(i) The words "Direct Recruitment", shall be replaced with "Direct recruitment only through written examination".

(ii) The words and symbols "Minimum three members - two internal and one external." shall be omitted.

(iii) The word "General" shall be substituted with "Junior".

D. In the regulation 6, the clause (c), of sub-regulation (4) shall be substituted as follows:-

(c) A competitive examination, including a written test and/or group discussion and interview, shall be conducted by the Competent Authority or by an outside agency engaged by the Authority for the purpose of recruitment:

Provided that Competent Authority may relax any or all of these requirements, for reasons to be recorded in writing:

Provided further that interview and /or group discussion shall not be conducted for the purpose of recruitment of whole time employees other than officers.

E. In the regulation 16, in clause (b) of sub-regulation (2) - the word "General" shall be substituted with "Junior".

F. After the regulation 25, new Regulation shall be inserted as follows: -

"25 A. Grant of increment on promotion grade

(1) Without prejudice to anything contained in regulation 24, where an employee is promoted to a higher grade on or after November 1, 2016,-

(a) before reaching the maximum of the incremental scale in the pre-promotional grade, the date of the next increment in the promotional grade shall be the date of increment as existing in the pre-promotional grade.

(b) after having reached the maximum of the incremental scale in the pre-promotional grade, the date of the next increment in promotional grade shall be one year from the date of promotion:

Provided that after having reached the maximum of the incremental scale in the pre-promotional grade, in cases where the officer promoted was due to receive any post scale benefits such as personal allowance and stagnation increment in the pre-promotional grade within one year from the date of actual promotion, the date of increment in the promotional grade shall be the date of accrual of such post scale benefit."

G. In the regulation 82, the sub-regulation (3) shall be substituted as follows: -

(a) Where it is proposed to hold an inquiry, the Competent Authority shall frame definite and distinct charges on the basis of the allegation against the employee. The Competent Authority shall deliver or cause to be delivered to the employee a copy of the articles of charge, the statement of the imputations of misconduct or misbehaviour and a list of documents and witnesses by which each article of charge is proposed to be sustained.

(b) On receipt of articles of charge, the employee shall be required to submit his written statement of defence, if he so desires, and also state whether he desires to be heard in person, within a period of fifteen days, which may be further extended for a period not exceeding fifteen days at a time for reasons to be recorded in writing by the Competent Authority or any other Authority authorized by the Competent Authority on his behalf:

Provided that under no circumstances, the extension of time for filing written statement of defence shall exceed forty-five days from the date of receipt of articles of charge."

H. In the regulation 82, the sub-regulation (12) shall be substituted as follows: -

On the receipt of the requisition under sub regulation (11), the officer having the custody or possession of the requisitioned documents shall arrange to produce the same or issue a non-availability certificate before the Inquiry Officer within one month of the receipt of such requisition, on the date, place and time specified in the requisition:

Provided that the officer having the custody or possession of the requisitioned documents may claim privilege if the production of such documents will be against the public interest or the interest of the Authority. In that event, it shall inform the Inquiry Officer accordingly and the Inquiry Officer shall, on being so informed, communicate the information to the employee and withdraw the requisition made by it for the production or discovery of such documents."

I. In the regulation 82, after the existing sub-regulation (21), the following new sub regulation (22) shall be inserted:-

"(22) (a) The Inquiry Officer should conclude the inquiry and submit his report within a period of six months from the date of receipt of order of his appointment as Inquiry Officer;

(b) Where it is not possible to adhere to the time limit specified in clause (a), the Inquiry Officer may record the reasons and seek extension of time from the Competent Authority in writing, who may allow an additional time not exceeding six months for completion of the Inquiry, at a time.

(c) The extension for a period not exceeding six months at a time may be allowed for any good and sufficient reasons to be recorded in writing by the Competent Authority or any other Authority authorized by the Competent Authority on his behalf."

HEMANT G. CONTRACTOR, Chairman

[ADVT.-III/4/Exty./333/18]

Footnote:

1. The Principal Regulations, The Pension Fund Regulatory and Development Authority (Employees' Service) Regulations, 2015 were published in the Gazette of India on 14th May, 2015 vide no. PFRDA/12/RGL/139/11.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064

and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2018.11.12 22:44:57 +05'30'